निर्णय ब इजलास अपर्णा गुप्ता आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 39/2026 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

देवेन्द्र पुत्र होशियार सिंह निवासी ग्राम माजरा काठ,
तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

.....अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़।

.........प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

दिनांक 20.04.2026

निर्णय

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की
धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़
उपलब्ध नहीं करवाने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलवाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी
सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ को अपील मीमों की
फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया
गया, अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला
कलक्टर कोटपूतली–बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2026/307 दिनांक 20.04.2026
के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन
दिनांक 13.02.2026 जो इस कार्यालय को दिनांक 23.02.2026 को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन के
संबंध में आवेदक द्वारा 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। आवेदक द्वारा चाही गई सुचना का
संबंध मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय भिवाडी से होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक
आरटीआई/2026/185 दिनांक 27.02.2026 के द्वारा आवेदक का आवेदन सूचना का अधिकार
अधिनियम की धारा 6(3) के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण
भिवाडी को अंतरित किया गया है। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2026
/186 दिनांक 27.02.2026 के द्वारा आवेदक को भिजवाई जा चुकी है। अंत में राज्य लोक सूचना
अधिकारी ने निवेदन किया कि प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, नोटिस के भार से मुक्त
कर इस कार्यालय स्तर से अपील कार्यवाही ड्रॉप किए जाने की कृपा करें।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थिति।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा
प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही
गई सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय भिवाड़ी से संबंधित है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के
संदर्भ में प्रत्यर्थी/अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा संबंधित अधिकारी को
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र का अन्तरण किये
जाने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः उक्त
अपील इसी स्तर पर अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार
हो।
8. निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर)
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़